आर.ई.ओं– 283

कार्यालय– अध्यक्ष डिस्कॉम्स

विद्युत भवन, जनपथ, जयपुर।

क्र. जे.पी.डी./अध्यक्ष डिस्कॉम्स /अधी.अभि.(आर.ई.)/ अधि.अभि.(II)/प. /प्रे. 782 दिनांक 14.9.18

आदेश

विषयः– कृषि कनेक्शन हेतु तीन वर्ष की अधिभावी (Overriding) प्राथमिकता देने व कनेक्शन जारी करने के संबंध ।

कृषि कनेक्शन नीति– 2017 के बिन्दु संख्या 7.1.3 "**तीन वर्ष की अधिभावी (Overriding) प्राथमिकता**" मे सामान्य योजना के अन्तर्गत इस अनुच्छेद मे वर्णित आवेदको को तीन वर्ष की अधिभावी (Overriding) प्राथमिकता का लाभ देने का प्रावधान किया गया है। इस क्रम मे निगम से जारी आदेश आर.ई.ओ. 279 दि. 18.06.18 द्वारा उपरोक्त बिन्दु संख्या 7.1.3 मे निहित प्रावधानो को पुनः स्थापित करते हुए यह प्रावधान किया गया कि सामान्य योजना के अन्तर्गत अधिभावी प्राथमिकता का लाभ इस अनुच्छेद मे वर्णित आवेदको को एक बार एक ही कनेक्शन पर देय होगा।

उक्त आदेश के संदर्भ मे किसान संगठनो द्वारा यह जानकारी मे लाया गया है कि सामान्य श्रेणी के अधिभावी प्राथमिकता पात्र आवेदको के उक्त आदेश आर.ई.ओ 279 दिनांक 18.06.18 प्रसारित होने से जमा व जारी मांग पत्रो के कृषि कनेक्शन जारी करने के संबंध मे क्षेत्राधिकारियो मे संशय है अतः इस संबंध मे निर्णय लेकर यह स्पष्ट किया जाता है कि:–

1. दिनांक 18.06.18 तक जिन आवेदको के एक से अधिक कनेक्शन हेतु मांग पत्र जमा है उन्हे कृषि कनेक्शन नीति– 2017 के बिन्दु संख्या 7.1.3 मे निहित प्रावधानो के अनुरूप कृषि कनेक्शन में तीन वर्ष की अधिभावी (Overriding) प्राथमिकता का लाभ देय होगा।
2. ऐसे आवेदक जिनके एक से अधिक मांग पत्र दिनांक 18.06.18 के पश्चात जमा किये गये है उन्हे निगम से जारी आदेश आर.ई.ओ– 279 दिनांक 18.06.18 के अनुसार कृषि कनेक्शन हेतु तीन वर्ष की अधिभावी (Overriding) प्राथमिकता का लाभ एक बार एक ही कनेक्शन पर देय होगा व अतिरिक्त कनेक्शन हेतु जमा मांग पत्र निरस्त कर राशि लौटाई जावे।
3. ऐसे आवेदक जिनके एक से अधिक कनेक्शन हेतु मांग पत्र जारी किये गए है लेकिन आज तक जमा नही हुए है उनके एक से अधिक कनेक्शन हेतु जारी मांग पत्रो को तुरन्त प्रभाव से निरस्त कर दिया जावे।
4. दिनांक 18.06.18 के पश्चात एक से अधिक कनेक्शन हेतु जमा व जारी मांग पत्रो मे से एक कनेक्शन आवेदक की मांग के विकल्प के आधार पर देय होगा।

(आर.जी गुप्ता)
अध्यक्ष डिस्कॉम्स,

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

1. मुख्य अभियन्ता /अति. मुख्य अभियन्ता (HQ / MM / Projects & Planning / TS & QC) जयपुर/अजमेर/जोधपुर डिस्कॉम।
2. संभागीय मुख्य अभियन्ता ,जयपुर / अजमेर / जोधपुर डिस्कॉम......................
3. अधीक्षण अभियन्ता (Q&M / Vig / Comml / M&P / TW/PLAN & Mont. / IT /MM / PROC / RE) जयपुर / अजमेर / जोधपुर डिस्कॉम, जयपुर / अजमेर / जोधपुर।
4. अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक (सतर्कता), जयपुर / अजमेर / जोधपुर डिस्कॉम, जयपुर / अजमेर / जोधपुर।
5. मुख्य लेखाधिकारी (R&C / FM-W&M / IA), सलाहकार (ए.टी.आर.) जयपुर / अजमेर / जोधपुर डिस्कॉम........
6. सचिव (प्रशासन), जयपुर / अजमेर / जोधपुर डिस्कॉम, जयपुर / अजमेर / जोधपुर।
7. निजी सचिव– प्रमुख ऊर्जा सचिव, राजस्थान सरकार, जयपुर।
8. प्रावै. सहा.– प्रबंध निदेशक, जयपुर / अजमेर / जोधपुर डिस्कॉम।
9. निजी सहा.– निदेशक (तकनीकी / वित्त), जयपुर / अजमेर / जोधपुर डिस्कॉम।
10. जनसंपर्क अधिकारी, जयपुर / अजमेर / जोधपुर डिस्कॉम,............................

अध्यक्ष डिस्कॉम्स